भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

J29498

मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद

20 MAY 2006

बयनामा

बयनामा	20,00,000 / —रू0
मालियत	20,04,000 / —रू0
स्टाम्प	2,00,500 / —रू0

हम कि जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पाकवड़ा तहसील व जिला मुरादाबाद प्रथम पक्ष (विक्रेता) व लोहिया डेवलपर्स इण्डिया प्रा0 लिमिटेड लाकड़ी फाजलपुर दिल्ली रोड, मुरादाबाद द्वारा डायरेक्टर श्री

जितेन्द्र सिंह

Vipin Kumar

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

सत्यमेव जयते

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

129499

मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद

विपिन कुमार गुप्ता पुत्र श्री नारायन कुमार गुप्ता निवासी 131, लाजपत

20 MAY 2006 नगर शहर व जिला मुरादाबाद द्वितीय पक्ष (क्रेता), के हैं।

जो कि आराजी काश्त भूमिधरी बकदर 1/3 भाग खाता सं0 562 खसरा सं0 610 मि0 रकबई 0.506 हेक्टे0 व खसरा सं0 612 अ रकबई 0.344 हेक्टे0 व खसरा सं0 612 व रकबई 1.174 हेक्टे0 कुल 3 किते कुल रकबई 2.024 हेक्टे0 लगानी सालाना 67.00 रू0 जमीन किस्म दोमट सर्किल न0 2 बाकै ग्राम पाकवड़ा तहसील व जिला मुरादाबाद जिस पर विक्रेता बहैसियत भूमिधर मालिक काबिज व दखील हैं। प्रथम पक्ष को इस

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

129500

आराजी की बावत विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है तथा प्रथम पक्ष को अपने भाग को विक्रय करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन नही है विक्रय की जाने वाली आराजी इस बक्त तक हर किस्म के बार, लोन सरकारी या गैर सरकारी व कुर्की व किफालत व नीलामी बगैरहा से कतई बरी पाक व साफ है गरज यह कि विक्रीत आराजी पर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है तथा ना ही इस आराजी पर किसी प्रकार का कोई बकाया आदि है तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति का विक्रय की जाने वाली आराजी में कोई हक व हिस्सा है तथा विक्रय की जाने

जितेन्द्र सिंह

Vipin Kumar

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

J 29501

मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद

20 MAY 2006

वाली आराजी की बावत हम प्रथम पक्ष विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति को कोई इकरारनामा या बयनामा नही किया है तथा न ही इस आराजी की बावत द्वितीय पक्ष (क्रेता) के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से कोई धनराशि प्राप्त की है आराजी वक्फ या कस्टोडियन की सम्पत्ति नही है। चूंकि कीमत भी मुनासिब मिल रही है लिहाजा हम प्रथम पक्ष (विक्रेता) ने खूब सोच व समझकर बिना बहकायें व सिखाये व दबाब नाजायज किसी के पूर्णतः अपनी सदबुद्धि से यह आराजी मुबलिग 20,00,000/–रूपये (बीस लाख) रूपये आधे जिसके 10,00,000/–रू0 (दस लाख) रूपये

जितेन्द्र सिंह

Vipin Kumar

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

129502

मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद

20 MAY 2006

होते है द्वितीय पक्ष क्रेता (लोहिया डेवलपर्स इण्डिया प्रा० लिमिटेड लाकड़ी फाजलपुर दिल्ली रोड, मुरादाबाद द्वारा डायरेक्टर श्री विपिन कुमार गुप्ता पुत्र श्री नारायन कुमार गुप्ता निवासी 131, लाजपत नगर शहर व जिला मुरादाबाद) को वय और फरोख्त कामिल करके कुल जरे समन उसका हस्व तफ्सील जैल द्वितीय पक्ष (क्रेता) से वसूल पाकर तमामी शय मुबइया मजकूर वाला का कब्जा ब दखल द्वितीय पक्ष (क्रेता) को दे दिया है आज के बाद से आराजी मजकूर की बाबत प्रथम पक्ष (विक्रेता) व वारिसान प्रथम पक्ष (विक्रेता) का कोई ताल्लुक व वास्ता बाकी

जितेन्द्र सिंह

Vipin Kumar

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

129503

20 MAY 2006

नही रहा है और न ही आइन्दा होगा द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूरा हक हासिल होगा। कि वह कागज कानूनी में प्रथम पक्ष (विक्रेता) का नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा ले अगर बाद को किसी बक्त में किसी फेल प्रथम पक्ष (विक्रेता) या कर्जख्वाह या औलाद या अन्य किसी दीगर शख्स की देनदारी या कानूनी नुक्स से शय मुबईया का जुज या कुल कब्जा द्वितीय पक्ष (क्रेता) या वारिसान द्वितीय पक्ष (क्रेता) से निकल जावे या बगरज तहफ्फुज शय मुबईया द्वितीय पक्ष (क्रेता) का कुल सर्फा मजीद खर्चा या अदा करना पड़े तो उसी कदर कुल जरे समन की

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

129504

मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद

20 MAY 2005

वापसी का प्रथम पक्ष (विक्रेता) अपनी जात व दीगर जायदाद मनकूला व गैर मनकूला हर किस्म अपनी से कुल हरजे व खर्चे अदालती सहित देनदार व जिम्मेदार प्रथम पक्ष (विक्रेता) होगा। वनीज आज तक की तमामी कानूनी देनदारियां व जिम्मेदारियां प्रथम पक्ष विक्रेता की होंगी अब

जितेन्द्र सिंह

Vipin Kumar

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

J29505

द्वितीय पक्ष (क्रेता) को हक व अधिकार है कि वह कागजात सरकारी से प्रथम पक्ष (विक्रेता) का नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा लें प्रथम पक्ष (विक्रेता) को कोई उज्र व एतराज नही होगा। पक्षकारान के फोटो गवाहान की शिनाख्त पर श्री एस0 माथुर एडवोकेट ने सत्यापित किये।

जितेन्द्र सिंह

Vipin Kumar

मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद

20 MAY 2006

500Rs.

नोटः—विक्रीत आराजी का मूल्यांकन, मूल्याकन सूची के परिशिष्ट 1 उपखण्ड "घ" के क्रमांक 32 के अुनसार 12,00,000/— रूपये प्रति एकड़ निर्धारित है। उसी पर नियमानुसार स्टाम्प अदा किया गया है। विक्रेता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य नही हैं। आराजी पूर्णतः खेती की भूमि है मौके पर तथा आसपास खेती हो रही है आराजी में कोई पेड़ कूप भवन आदि नही है। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण भाग विक्रय किया है तथा विक्रीत खसरा नम्बरान में विक्रेता का कोई भाग शेष नही रहा है।

जितेन्द्र सिंह Vipin Kumar

तफ्सील वसूली जरे समन मुबलिग 20,00,000 / –रू0 बजरिये कैश आर्डर सं0 966008 दिनांक 22–05–2006 पंजाब नेशनल बैंक, अर्न्तराष्ट्रीय बैंकिंग शाखा मुरादाबाद प्रथम पक्ष (विक्रेता) ने द्वितीय पक्ष (क्रेता) से कब्ल रजिस्ट्री बयनामा हाजा प्राप्त किये।

प्रथम पक्ष (विक्रेता)
जितेन्द्र सिंह

द्वितीय पक्ष (क्रेता)
Nipin Kumar

गo मुहम्मद ताहिर अली खान
पुत्र श्री मुहम्मद अली खान
नि० सब्जीपुर तहसील
जिला मुरादाबाद

गo [illegible]

बयनामा हाजा आज दिनांक 22–05–2006 का बमुकाम मुरादाबाद बइकरार पक्षकारान बमशवरा श्री एस0 माथुर एडवोकेट सचिन मिश्रा ने टाईप किया।

न्यायालय तहसीलदार मुरादाबाद
वाद संख्या 929 धारा-34 भू०रा०अधि०
ग्राम पाकबड़ा
विपिन कुमार बनाम जितेन्द्र कुमार
आ० दिनांक..........
अभिलेख वापसी 24/7/06

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

वही नं० I जिल्द 5099 के पृष्ठ 231/252 में
क्रमांक 2540 पर आज दिनांक 22.5.06
को रजिस्ट्री की गई।
सी० बी० पाण्डेय
उप निबन्धक द्वितीय
मुरादाबाद

नक्शा आराजी काश्त भूमिधरी वाका

संख्या 610मि०, 612अ, व 612ब कुल रकबा

2.024 हे० का ½ भाग वाके ग्राम पाकबड़ा

तहसील व जिला मुरादाबाद

इकरारी: श्री जितेन्द्र सिंह

मौसूमा: लोहिया डवलपर्स इण्डिया प्रा०लि० मु०फाजलपुर

नोट: विक्रीत भूमि की 2000.0 मी० की जिस्मा मे खेती हो रही है

जितेन्द्र सिंह

Vipin Kumar

TRACED BY

S P ... PA..

DRAUGHTSMAN CIV

Court Compound

MORADABAD